


कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा

क्रमांक : EA/81

दिनांक : 14-04-2020

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 14/पी. आई./2020 दिनांक 14.04.2020 की पालना में कोटा न्यायक्षेत्र के समस्त मुख्यालयों पर पदस्थापित वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि न्यायालय परिसर में सभी केन्टीन तथा खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाली दुकानें दिनांक 03.05.2020 तक बन्द रहें तथा पीने योग्य पानी की समुचित व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक मुख्यालय पर न्यायालय परिसर में रोटेशन के आधार पर दिनांक 03.05.2020 तक प्रति कार्य दिवस पर एक फोटोस्टेट मशीन की दुकान खुली रहे तथा उक्त दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जावे। सभी मुख्यालयों पर स्थित प्रत्येक न्यायालय कक्ष, कार्यालय, टॉयलेट, दरवाजों के हेण्डल, कुर्सियों, टेबल, दरवाजों, रैलिंग को प्रतिदिन कम से कम दो बाद बार, एक प्रतिशत हाईपोक्लोराइट व बेन्जॉइक एसिड से पोंछा लगवाया जाना भी सुनिश्चित करें।



जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कोटा (राजस्थान)

क्रमांक :

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त पीठासीन अधिकारी, कोटा न्यायक्षेत्र
2. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, कोटा


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कोटा (राजस्थान)